## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः— 600 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांकः—24 / 09 / 15</u> <u>फाईलिंग नं. 233504003362015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि क्त द्ध

राजू पिता मोहनपुरी उम्र 30 वर्ष, निवासी ढूटमुर, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

# <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

### (आज दिनांक 11.04.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.08.2015 को समय सुबह करीब 08:00 बजे, ग्राम ढुटमुर स्थित फरियादी के मकान की बाड़ी में थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी रजनीश को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी 24.08.2015 को सुबह करीब 8 बजे फरियादी अपनी बाड़ी में गया था। उसकी बाड़ी में अभियुक्त ने कचरा फेंक दिया था जिस पर उसने अभियुक्त से कहा कि कचरा क्यों फेंका तो अभियुक्त ने मां बहन की मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गाली गलौच देकर हाथ मुक्के से तथा कुल्हाड़ी के बेसे से मारपीट की। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 457 / 15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.08.2015 को समय सुबह करीब 08:00 बजे, ग्राम ढुटमुर स्थित फरियादी के मकान की बाड़ी में थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी रजनीश को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?''

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 रजनीश (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना लगभग एक डेढ़ वर्ष पुरानी होकर ग्राम ढुटमुर की सुबह 8—9 बजे की उसकी बाड़ी की है। अभियुक्त ने उसकी बाड़ी में कचरा फेंक दिया था। जिस पर उसने अभियुक्त को कचरा फेंकने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी तथा उसके साथ वाद विवाद कर धक्का मुक्की की थी तथा वाद विवाद में पत्थर पर गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) थाने में की थी जिस पर पुलिस ने (प्रदर्श प्री—2) का मौका नक्शा तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आयी थी।
- 7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौच कर धक्का मुक्की करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा धारदार कुल्हाड़ी से आहत/फरियादी को चोट पहुंचाई गयी

हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी रजनीश को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त राजू पुरी को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसर संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- 9 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।
- 10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)